CNR no. UPBU10-002592-2022

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अनूपशहर, बुलन्दशहर।

परिवाद संख्या -1101 सन 2022

डिम्पल बनाम प्रदीप व अन्य

15.05.2023

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के प्रश्न पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अपने कथन बयान अन्तर्गत धारा 200 दं.प्र.सं. में सशपथ यह कहा है कि मेरी शादी प्रदीप के साथ हुई है। शादी के करीब एक माह तक ठीक से रखा उसके बाद कम दहेज की बात करते हुए मेरी ससुराल वाले मुझे मारने-पीटने लगे दहेज में एक लाख रूपये व मोटरसाईकिल की मांग करने लगे। मना करने पर मेरे पति प्रदीप दारू पीकर मुझे मारते-पीटते है तथा ओमवती, गजराज सिंह, भरत एवं सोनिया सभी दहेज के लिए परेशान करते है। पिछले महीने मारपीट कर मुझे मेरे घर के पास छोड़ गये तथा धमकी दिये कि जब तक दहेज का रूपया व मोटर साईकिल न हो जाए तब तक आना नहीं तो जान से मार देंगे।

आवेदक/परिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र, एक किता छायाप्रति आधार कार्ड, वरिष्ट पुलिस अधीक्षक महोदय बुलन्दशहर/महिला सैल अधिकारी को प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, एक किता छायाप्रति नोटिस दिनांक 29.11.2022, एक किता असल रसीद उपडाकघर दिनांक 29.10.2022 छायाप्रति दाखिल की गयी है।

परिवादिनी द्वारा अपने कथानक के समर्थन में स्वंय को न्यायालय के समक्ष धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं साक्षीगण सी0 पी0 डब्लू0 01 रेनू व सी0 पी0 डब्लू0 02 लीला सिंह को धारा 202 दण्ड प्रक्रिया सहिंता के तहत न्यायालय में परीक्षित कराया गया है।

सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी साक्ष्य सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्टया विपक्षीगण प्रदीप, ओमवती, गजराज सिंह, भरत एवं सोनिया के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 498 ए, 323 व 506 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मामला बनना प्रतीत होता है।

तद्नुसार विपक्षीगण प्रदीप, ओमवती, गजराज सिंह, भरत एवं सोनिया को अन्तर्गत धारा 498 ए, 323 व 506 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध में विचारण किए जाने हेतु आहूत किए जाने योग्य है।

CNR no. UPBU10-002592-2022

आदेश

विपक्षीगण प्रदीप, ओमवती, गजराज सिंह, भरत एवं सोनिया को अन्तर्गत धारा 498 ए, 323 व 506 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध में विचारण किए जाने हेतु आहूत किया जाता है।

परिवादिनी विपक्षी की तलबी बाबत पैरवी अन्दर सप्ताह करें एवं सूची गवाहान दाखिल करें। पत्रावली वास्ते हाजिरी विपक्षीगण दिनांक 30.05.2023 को पेश हो।

(विनय कुमार सिंह IV)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अनूपशहर, बुलन्दशहर।
Jo Code UP1983

(जय चन्द, आशुलिपिक)